

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची-834002

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

संबंधित सिविल सर्जन, झारखण्ड।
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

राँची/दिनांक : ...01-01-2026...

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 के व्यय हेतु मांग संख्या-20 स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी 101- स्वास्थ्य उप केन्द्र-02-स्वास्थ्य उप केन्द्र के अन्तर्गत कुल ₹ 8,62,62,000/- (आठ करोड़ बासठ लाख बासठ हजार) का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन संलग्न Online आवंटन के विवरणी में स्वा0 उपकेन्द्र को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है:-

क्रमांक	मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या-20/2210-चिकित्सा साथ लोक स्वास्थ्य	03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी	101- स्वास्थ्य उप केन्द्र/02- स्वास्थ्य उप केन्द्र	₹ 8,62,62,000/- (आठ करोड़ बासठ लाख बासठ हजार)

2. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) दिनांक 17.04.98 एवं 1800(वि) दिनांक 15.07.2003 तथा 1681/वि0 दिनांक 10.06.2015 के आलोक में होगी।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित सिविल सर्जन (संलग्न विवरणी के अनुसार)/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगे। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगे कि विपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एवं राशि की निकासी के लिए वे स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र के साथ आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि स्थापना व्यय, राज्य योजना एवं एन0एच0एम0 से आवंटित राशि का लेखा संधारण अलग-अलग रखेंगे।

(अनन्त कुमार)
सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

7. आवंटित राशि का व्यय विवरणी स्वास्थ्य केन्द्रवार अगले माह सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिक व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि की निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हो लें कि कर्तव्य से लंबी अवधि से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतनादि की निकासी नहीं की जा रही है तथा जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है एवं इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गई है। किसी भी प्रकार के अवैध निकासी का उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। बकाये वेतनादि के भुगतान में विशेष सतर्कता बरती जाय एवं कर्तव्य अवधि से संतुष्ट होकर ही बकाये का भुगतान किया जाय।

11. वित्त विभागीय पत्र संख्या- 69/बजट दिनांक 11.02.2013 के आलोक में विद्युत विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाय। परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्गत वित्त विभाग के पत्र संख्या- 3558/वि0 दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

12. कार्यालय व्यय मद में आवंटित राशि को सिविल सर्जन समानुपातिक रूप से सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिए व्यय करेंगे।

13. क्रय संबंधी सभी कार्य वित्त विभागीय निदेशों के अनुरूप यथा नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाय।

14. सभी सिविल सर्जन के द्वारा सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों से संबंधित उपलब्ध कराए गए कर्मियों की संख्या के संबंध में कार्यरत कर्मियों की संख्या विवरणी के आंकड़ों की वित्त विभाग के COBT - Form 3A में की गई प्रविष्टि के आधार पर वित्त विभाग के द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अनुरूप ही विभाग द्वारा आवंटन निर्गत किया जा रहा है। अतः COBT - Form 3A के प्रपत्र में अंकित कर्मियों के विवरणी के अनुरूप ही इस आवंटन का व्यय किया जाए।

यदि इस वित्तीय वर्ष में नई नियुक्ति की गई हो तो Form 3A में सूचना विभाग को सूचनाएँ उपलब्ध कराया जाए ताकि अनुपूरक बजट के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों के वेतनादि के लिए राशि की व्यवस्था की जा सके।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटित राशि की निकासी के लिए निम्नांकित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :-

- i) प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त उपस्थिति विवरणी के आधार पर वेतन की निकासी करेंगे।
- ii) प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रत्येक माह का विपत्र माह की 25 वीं तारीख तक वेतन विपत्र कोषागार में भेजना सुनिश्चित करेंगे।
- iii) वेतन की ससमय निकासी नहीं होने के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
- iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि Ghost Employee/अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतन की निकासी नहीं हो। ऐसे किसी अवैध निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- v) वेतन मद की राशि से 15.11.2000 के पूर्व की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाए।

16. स्वास्थ्य उपकेन्द्र के आवंटन के संबंध में सभी पत्राचार संबंधित सिविल सर्जन के द्वारा ही किया जाए। किसी भी परिस्थिति में इन ईकाइयों द्वारा विभाग से इस विषय पर सीधे पत्राचार नहीं किया जायेगा।

64(7)व
01-01-2026

(अनन्त कुमार)

सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

17. प्रत्येक माह आवंटित राशि के विरुद्ध की गई निकासी की विवरणी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

18. सभी सिविल सर्जन अपने अधीनस्थ स्वास्थ्य उपकेन्द्र का इस आवंटनादेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई निर्देशित करेंगे।

19. क्रय संबंधी सभी कार्य वित्त विभागीय निदेशों के अनुरूप यथा नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाय।

20. सभी सिविल सर्जन के द्वारा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से संबंधित उपलब्ध कराए गए कर्मियों की संख्या के संबंध में कार्यरत कर्मियों की संख्या विवरणी के आंकड़ों की वित्त विभाग के COBT - Form 3A में की गई प्रविष्टि के आधार पर वित्त विभाग के द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अनुरूप ही विभाग द्वारा आवंटन निर्गत किया जा रहा है। अतः COBT - Form 3A के प्रपत्र में अंकित कर्मियों के विवरणी के अनुरूप ही इस आवंटन का व्यय किया जाए।

यदि इस वित्तीय वर्ष में नई नियुक्ति की गई हो तो Form 3A में सूचना विभाग को सूचनाएँ उपलब्ध कराया जाए ताकि अनुपूरक बजट के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों के वेतनादि के लिए राशि की व्यवस्था की जा सके।

21. दवा क्रय में निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :-

I. वैसे दवा का क्रय किया जाएगा जिसका दर निर्धारण (Rate Contract) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया है एवं दर निर्धारण की Validity Period समाप्त नहीं हुआ है।

II. वैसे दवा जिसका दर निर्धारण निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड की सूची में नहीं हो अथवा दर निर्धारण अवधि समाप्त हो चुका हो। ऐसे दवाओं का क्रय Priority Basis पर किया जाएगा जिसकी संबंधित केन्द्र पर अत्याधिक आवश्यकता हो।

III. EDL के अनुसार सभी स्तर के अस्पतालों/ केन्द्रों के लिए दवाओं का नाम चिह्नित है। अनावश्यक रूप से अधिक दवाओं का क्रय संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा अन्यथा इसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। दवाओं के तिथिवाद होने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

IV. आवश्यक एवं मौसमी बीमारी की दवाओं को प्राथमिकता दी जाय। आवश्यकता आधारित अगले चार माह तक ही दवा की खरीद की जाय।

V. दवाओं के क्रय में साँप काटने तथा कुत्ता काटने के कारण दी जाने वाली दवा की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

VI. क्रय किए गए दवाओं का Shelf Life कम से कम उसकी पूरी अवधि का 80 प्रतिशत होनी चाहिए।

VII. अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की सूची जन साधारण के अवलोकनार्थ अस्पताल के सूचना पट्ट के निकट अथवा किसी अन्य उचित स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

VIII. सिविल सर्जन जिला के एक वरीय चिकित्सा पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करेंगे जो जिले के सभी अस्पतालों में दवा की उपलब्धता का लगातार अनुश्रवण करेंगे एवं नियमित रूप से इसका प्रतिवेदन सिविल सर्जन को देंगे। सिविल सर्जन दवा की उपलब्धता को मासिक रूप से निदेशालय के उनके जिला के नोडल पदाधिकारी को सूचित करेंगे।

IX. सभी सिविल सर्जन/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी दवाओं की उपलब्धता का आकलन करेंगे, जिन दवाओं की अगले तीन-चार माह में आवश्यकता हो, सिर्फ उन्ही दवाओं की मात्रा के अनुरूप निविदा निर्धारित प्रक्रिया के तहत क्रय कर सकेंगे। यदि दवा क्रय करने की आवश्यकता नहीं हो तो शीघ्र राशि प्रत्यर्पित करेंगे न कि मार्च 2026 में प्रत्यर्पण की कार्रवाई करेंगे।

64(7)ब
01-01-2026

(अनन्त कुमार)

सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

22. इस राशि से दवाओं के क्रय के उपरान्त व्यय विवरणी विभाग को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

23. स्वास्थ्य निदेशालय के पत्रांक 1644 (25) दिनांक 01.09.2017 के द्वारा निदेश है कि प्रेषित 60 दवाओं की सूची (Fast Moving Drugs) जिनकी उपलब्धता 25 प्रतिशत बफर स्टॉक के साथ अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में बनाया रखना आवश्यक है, में से वैसी दवाएँ जो वर्तमान में रांची स्थित निगम के वेयर हाउस में उपलब्ध है तथा क्रय एवं आपूर्ति की प्रक्रिया में है, को छोड़कर शेष दवाओं के क्रय हेतु सभी जिलों को आवंटन निर्गत किया जा रहा है।

निगम के वेयर हाउस में उपलब्ध दवाओं में से यदि कोई दवा समाप्त हो जाये तो वैसी परिस्थिति में निगम की सहमति से उक्त दवा का क्रय जिलों/संस्थानों द्वारा प्राप्त आवंटन से किया जाए।

24. दवा क्रय के संबंध में विभागीय पत्रांक 04 (7) दिनांक 11.01.2019 के आलोक में स्पष्ट निदेश दिया गया है कि प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एण्ड प्रोक्यूरमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नामकुम, रांची द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली/करायी जा रही दवाओं को छोड़कर अन्य दवाओं का क्रय वास्तविक आवश्यकता का आकलन करते हुए किया जाए ताकि दवाओं के क्रय में किसी भी प्रकार के दोहरीकरण की संभावना न हो। यदि सूची से कोई दवा खरीद करनी हैं, तो संबंधित अधीक्षक द्वारा इस विषय पर लिखित औचित्य/आवश्यकता/आकस्मिकता को अंकित किया जाए।

25. विभागीय संकल्प संख्या 102 (6) दिनांक 09.02.2021 द्वारा राज्य के सभी वर्गों के अस्पतालों में निरंतर तथा नियमित रूप से दवाओं की उपलब्धता बनाये रखने हेतु झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत भारत सरकार के 05 औषधि निर्माता उपक्रमों से मनोनयन के आधार पर क्रय कर राज्य सरकार के विभिन्न अस्पतालों को आपूर्ति किए जाने के निमित्त उत्पादित 103 जेनरिक जीवन रक्षक दवाओं को क्रय किए जाने की स्वीकृति से संबंधित दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही उक्त के संबंध में विभागीय पत्रांक 149 (21) दिनांक 28.07.2022 में निहित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

26. दवा मद में आवंटित राशि की निकासी दवा क्रय करने हेतु E-Tender/ GeM के तहत सारी विहित प्रक्रियाएँ पूरी करने के पश्चात करना सुनिश्चित किया जाए।

27. दवा का क्रय नियमानुसार करते हुए क्रय किये गये दवाओं की प्रविष्टि आवश्यक रूप से स्टॉक पंजी में किया जाय।

28. प्रत्येक माह स्वयं सिविल सर्जन द्वारा स्टॉक पंजी का सत्यापन किया जाय। विभाग से दवा भण्डार मद में आवंटन की मांग करने से पूर्व सिविल सर्जन द्वारा स्टॉक पंजी का सत्यापन करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र Invoice की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति के साथ उपलब्ध कराया जाय।

29. वित्त विभागीय पत्र संख्या- 69/बजट दिनांक 11.02.2013 के आलोक में विद्युत विपत्रों के भुगतान की कार्यवाई की जाय। परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्गत वित्त विभाग के पत्र संख्या- 3558/वि0 दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कार्यवाई सुनिश्चित की जाय।

31. विभागीय पत्रांक - 20(7) दिनांक 15.04.2025 के आलोक में स्थापना व्यय बजट अन्तर्गत संबंधित सिविल सर्जन आवंटित राशि को अपने अधीनस्थ संस्थानों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपआवंटित करने की कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

64(7)व
01-01-2026

(अनन्त कुमार)

सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-07/स्थापना (व्यय)-आवंटन- 23/2022 - 64(7)ब / स्वा0, राँची, दिनांक- 01-01-2026
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (बजट शाखा), झारखण्ड, राँची को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-07/स्थापना (व्यय)-आवंटन- 23/2022 - 64(7)ब / स्वा0, राँची, दिनांक- 01-01-2026
प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ,
झारखण्ड, राँची/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव
को सूचनार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पूर्व में निर्गत आवंटन की विवरणी

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	पूर्व में आवंटित राशि	आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	वेतन	562503600	70060000	632563600
2	देशीय यात्रा व्यय	12000	188000	200000
3	कार्यालय उपकरण	6711000	1840000	8551000
4	आपूर्ति एवं सामग्री	9232000	745000	9977000
5	वर्दी	31250	75000	106250
6	चिकित्सकीय आपूर्ति	23480000	6700000	30180000
7	विद्युत व्यय	2402000	6654000	9056000
	कुल	604371850	86262000	690633850

आवंटन का सारांश

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	वेतन	20S22100310102000101	70060000
2	देशीय यात्रा व्यय	20S22100310102000213	188000
3	कार्यालय उपकरण	20S22100310102000317	1840000
4	आपूर्ति एवं सामग्री	20S22100310102000323	745000
5	वर्दी	20S22100310102000334	75000
6	चिकित्सकीय आपूर्ति	20S22100310102000336	6700000
7	विद्युत व्यय	20S22100310102000337	6654000
	कुल		86262000

कुल : ₹ 8,62,62,000/- (आठ करोड़ बासठ लाख बासठ हजार)।

(अनन्त कुमार)
सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

जिलावार, मदवार आवंटित राशि की विवरणी

क्रमांक	जिला का नाम	वेतन	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	वर्दी	चिकित्सकीय आपूर्ति	विद्युत व्यय	कुल
1	Bokaro	1200000	5000	130000	70000	0	1000000	0	2405000
2	Chatra	6764000	0	0	70000	25000	500000	150000	7509000
3	Deoghar	1100000	0	0	0	0	0	0	1100000
4	Dhanbad	0	0	1010000	70000	0	500000	20000	1600000
5	Dumka	5373000	38000	130000	70000	0	300000	472000	6383000
6	Garwah	2892500	0	0	40000	0	0	0	2932500
7	Giridih	1650000	0	30000	25000	0	0	0	1705000
8	Godda	2211500	12000	240000	70000	25000	1200000	100000	3858500
9	Hazaribagh	4500000	20000	100000	50000	0	500000	1000000	6170000
10	Jamtara	100000	25000	0	70000	10000	0	252000	457000
11	Latehar	8000000	0	0	0	0	200000	0	8200000
12	Lohardaga	1300000	0	200000	70000	0	500000	0	2070000
13	Pakur	0	0	0	70000	0	400000	0	470000
14	Ranchi	273000	0	0	0	0	0	0	273000
15	Sahebganj	6500000	0	0	0	0	300000	0	6800000
16	Seraikela	19001500	0	0	70000	15000	1000000	4000000	24086500
17	Simdega	9194500	88000	0	0	0	300000	660000	10242500
	Grand Total	700600000	188000	1840000	745000	75000	6700000	6654000	862620000

64(4) ब
01-01-2026

(अनन्त कुमार)
सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-

मौग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 03 - ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 101 - स्वास्थ्य उप-केन्द्र & 02 - स्वास्थ्य उप-केन्द्र

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	वेतन	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	वर्दी	चिकित्सकीय आपूर्ति	विद्युत व्यय	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bokaro	BKRMED001	Dr. Abhoy Prasad	Civil Surgeon, Bokaro	₹12,00,000.00 (80836)	₹5,000.00 (80853)	₹1,30,000.00 (80859)	₹70,000.00 (80867)	₹0.00	₹10,00,000.00 (80883)	₹0.00	₹24,05,000.00
2	Chatra	CTRMED013	Jagdish Prasad	Cs Cum Cmo Chatra	₹67,64,000.00 (80837)	₹0.00	₹0.00	₹70,000.00 (80868)	₹25,000.00 (80879)	₹5,00,000.00 (80884)	₹1,50,000.00 (80895)	₹75,09,000.00
3	Deoghar	DGRMED052	Dr. Jugal Choudhary	Civil Surgeon Cum Cmo Deoghar	₹11,00,000.00 (80838)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹11,00,000.00
4	Dumka	DMKMED079	Dr. Kamleshwar Prasad	C.S. Cum C.M.O. Dumka	₹53,73,000.00 (80839)	₹38,000.00 (80854)	₹1,30,000.00 (80861)	₹70,000.00 (80870)	₹0.00	₹3,00,000.00 (80886)	₹4,72,000.00 (80897)	₹63,83,000.00
5	Garhwa	GRHMED001	Dr. John Fitzgerald Kennedy	C.S. Cum C.M.O. Garhwa	₹28,92,500.00 (80840)	₹0.00	₹0.00	₹40,000.00 (80871)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹29,32,500.00
6	Giridih	GRDMED003	Shalikh Zafarullah	C.S. Cum C.M.O. Giridih	₹16,50,000.00 (80841)	₹0.00	₹30,000.00 (80862)	₹25,000.00 (80872)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹17,05,000.00
7	Godda	GDDMED010	Subhash Sharma	Civil Surgeon Godda	₹22,11,500.00 (80842)	₹12,000.00 (80855)	₹2,40,000.00 (80863)	₹70,000.00 (80873)	₹25,000.00 (80880)	₹12,00,000.00 (80887)	₹1,00,000.00 (80898)	₹38,58,500.00
8	Hazaribagh	HZBMED069	Ashok Kumar	C.S. - Cum-Cmo Hzb	₹45,00,000.00 (80843)	₹20,000.00 (80856)	₹1,00,000.00 (80864)	₹50,000.00 (80874)	₹0.00	₹5,00,000.00 (80888)	₹10,00,000.00 (80899)	₹61,70,000.00
9	Jamtara	JMTMED058	Anand Mohan Soren	C.S. Cum C.M.O. Jamtara	₹1,00,000.00 (80844)	₹25,000.00 (80857)	₹0.00	₹70,000.00 (80875)	₹10,000.00 (80881)	₹0.00	₹2,52,000.00 (80900)	₹4,57,000.00
10	Latehar	LTRMED047	Raj Mohan Khalkho	C.S. Cum, C.M.O. Latehar	₹80,00,000.00 (80845)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹2,00,000.00 (80889)	₹0.00	₹82,00,000.00
11	Lohardaga	LDGMED008	Raju Kachhap	C.S. Cum C.M.O. Lohardaga	₹13,00,000.00 (80846)	₹0.00	₹2,00,000.00 (80866)	₹70,000.00 (80876)	₹0.00	₹5,00,000.00 (80890)	₹0.00	₹20,70,000.00
12	Sahebganj	SBJMED001	Ramdeo Paswan	C.S. Cum. C.M.O. Sbg	₹65,00,000.00 (80848)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹3,00,000.00 (80892)	₹0.00	₹68,00,000.00
13	Saraikela	SKLMED112	Sarju Prasad Singh	C.S. Cum-C.M.O. Saraikella	₹1,90,01,500.00 (80849)	₹0.00	₹0.00	₹70,000.00 (80878)	₹15,000.00 (80882)	₹10,00,000.00 (80893)	₹40,00,000.00 (80901)	₹2,40,86,500.00
14	Simdega	SDGFMW020	Sundar Mohan Samad	Civil Surgeon, Simdega	₹91,94,500.00 (80850)	₹88,000.00 (80858)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹3,00,000.00 (80894)	₹6,60,000.00 (80902)	₹1,02,42,500.00
15	Ranchi	RNCMED013	Prabhat Kumar	C.S. Cum C.M.O. Ranchi	₹2,73,000.00 (80852)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹2,73,000.00
16	Dhanbad	DHNMED072	Dr. Alok Bishwakarma	C.S. Cum C.M.O. Dhanbad	₹0.00	₹0.00	₹10,10,000.00 (80860)	₹70,000.00 (80869)	₹0.00	₹5,00,000.00 (80885)	₹20,000.00 (80896)	₹16,00,000.00
17	Pakur	PKRMED009	Surendra Kumar Mishra	Cs-Cum-Cmo Pakur	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹70,000.00 (80877)	₹0.00	₹4,00,000.00 (80891)	₹0.00	₹4,70,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹8,62,00,000.00 (आठ करोड़ बासठ लाख बासठ हजार) रुपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए

64(7) व
01-01-2026

(AJAY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY